

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/24/24.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/24/25 दिनांक 07.08.2019 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु “प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” की कंडिका 08-प्रबंध को छोड़कर, कंडिका-5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05-(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत "प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची - एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई-मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019 जिला जशपुर

अनुसूची-एक

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (सोसाइटी)
1	2	3	4
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पत्थलगांव	रघुनाथपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, घरजियाबथान
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, किलकिला	बंदियाखार	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पत्थलगांव

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसाइटी)	नवीन सोसाइटी	नवीन सोसाइटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बगीचा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बिमड़ा	बिमड़ा, दुर्गापारा, सरडीह, नटकेला, पतरापारा, मैनी, सामरबार, पेटा, सोनपुर, जुरगुम, खन्ताडांड
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तमता	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, केराकछार	केराकछार, करमीटिकरा, सुखरापारा, जामुजनवानी, मौदरहा, खारढोंडी, सिलीपखना, मिर्जापुर
3	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तपकरा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोनपारा	कोनपारा, अंकिरा, कौरगामाल, भालूमण्डा, खारीबहार, बरडीह, जुनवाईन, झारमुण्डा, तुमला, टिकलीपारा, दलटोली, सराईटोली, फरदबहार, बाबुसाजबहार, मसंगामारा, भेजरीडांड, सरकरा, बारो, रनई, सागजोर, पेरवांआरा, भेलवा, गोलीडीह, डुमरिया, अम्बाकछार, टांकमुण्डा, कुम्हारबहार, डोंगादरहा, गंझियाडीह, मौहाडीह, जामटोली, कोल्हेनझरिया, कुल्हाड़बुड़ा, तेलाईन, दलसेर, हाथीबेड़, जोरंडाझरिया, माटीपहाड़छर्रा, डागबंधी, औरीजोर (गंझियाडीह के पास), खुटसेरा, पेटामारा, मेण्डर
4	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुनकुरी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, नारायणपुर	कोटीया, पुटुकेला, सेन्द्रमुंडा, जामचुआं, बनकोम्बो, सारंगड़ा, रंगारघाट, बरडांड, बेने, रानीकोम्बो, हस्तिनापुर, चटकपुर, बिलासपुर, चरईमारा, चिटकवाईन, दाराखरिका, डिपाटोली, नारायणपुर, मटासी
5	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कांसाबेल	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चोंगरीबहार	केनाडांड, छेराघोघरा, जुमईकेला, बगीया, मुसकुटी, रजौटी, कटंगखार, कोरंगा, जामुंडा, देवरी, गरीहादोहर, दोकड़ा, पतरापाली, चोंगरीबहार, तुरंगाखार, बासबहार, बरजोर, लपई, सेमरकछार, हथगड़ा, कोटानपानी, गरईबंध, टाटीडांड, तिलन्ना, दलहागोड़ा, नकटीमुंडा, शब्दमुंडा, रेबड़ा
6	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, मनोरा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, आस्ता	आस्ता, बेंजोरा, अंधरझर, खम्हली, अमगांव, अंधला, बहेरना, कांची, इरई, कुरांग, माडो, गोबारु, अजधा, ढेगनी, हरी, कोठाडीह, खड़कोना, सरडीह, सराईडीह, खौरा, बुधगांव, करादरी, लिटिम, हराडिपा, तलोरा, बेलडीह
7	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गम्हरिया	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, आरा	आरा, ठुठीआम्बा, सकरडेगा, सालेकेरा, बरगांव, जामटोली, झिलमिली, इचकेला, रूपसेरा, डबनीपानी, राईपाट, बोकी, बिरोपानी, नारायणपुर (चिरवारी), रनपुर

अनुसूची-तीन

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटीजिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसाइटीजिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक